secration of grave yards, digging up of dead bodies, etc. Keeping in view these complaints, the condition of production of a certificate from the police authorities concerned in regard to the source of procurement has been stipulated. All State Governments and Union Territories were also advised to keep an informal watch on the collectors of human skeletons to prevent any unlawful/criminal activities being resorted to by them.

कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए मारे गये छापे

*496. **श्री दौलत राम सारण :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए सारे देश में जनवरी, 1980 से अब तक कुल कितने छापे मारे गये हैं;

(ख) कितने मूल्य का माल कब्जे में लिया गया;

(ग) कितने मूल्य का माल जब्त किया गया;

(घ) कितने मामलों में चालान किये गये;

(ङ) इस बारे में कितने लोगों को सजा दी गई; और

(च) कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर विभाग ने जनवरी 1980 से नवम्बर 1980 तक की अवधि में 2940 तलाशियां ली हैं :

(ख) इन तलाशियों के दौरान लगभग 16.43 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं ।

(ग) से (च). इन मामलों में विस्तृत तथा सम्यक जांच-पड़ताल चल रही हैं । जांच-पड़ताल पूरी होते ही इन मामलों में कानून के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही की जाएगी ।

Hike in customs duty on high density Polythylene

*499. **Shri H. N. NANJE GOWDA:**
SHRI D. M. PUTTE GOWDA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the basic price of Indigenous Plastic Raw material is much higher than the similar cost of raw materials in foreign countries like South Korea;

(b) if so, whether steep rise of Customs Duty from 91.7 per cent on C.I.F. value of High Density Polythylene to 156.6 per cent will cause severe strain on the meagre finances of small scale plastic units;

(c) whether in view of recent hike in Customs Duty to 156.6 per cent on High Density Polythylene most of the small scale units are about to be closed resulting in retrenchment and loss of revenue on account of sales tax, income tax to Government; and

(d) whether in view of this, it is proposed to reduce the customs duty to what was prevailing prior to 16-10-1980?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAISINGH SISODIA): (a) Owing to the fact that Indian petro-chemical plants are generally based on higher priced naptha and are comparatively less viable in size, the basic prices of indigenous plastic raw material are generally higher than the basic prices prevalent in foreign countries where quite a few of the plants are based on cheaper feed stock like natural gas and have more viable production capacities.

(b) Given the international prices prevailing prior to the duty changes made in October 1980, the increase in the customs duty should not have meant a severe hardship to the processing units since, even at the revised level of customs duty the landed cost of imported high density polyethylene would have been less than the ruling price of comparable indigenous material.

(c) In the representation received from concerned interests, it has been stated that the units processing high density polyethylene are about to be closed down; but no confirmation is available in this reagrd.

(d) No Sir.

सरकारी अधिकारियों की पत्नियों के नाम से चल रही बीमा पालिसियां

*500. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में आय-कर, उत्पादन शुल्क, प्रतिरक्षा खरीद आदि विभागों में नियुक्त लगभग एक सौ सरकारी अधिकारियों की पत्नियों के नाम से बीमा पालिसियां चल रही हैं जिनके लिये किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है और उन पर प्रति वर्ष लगभग 50 लाख रुपये का प्रीमियम आता है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगत-भाई बारोट) :

(क) और (ख). सरकार का ध्यान दिनांक 14 सितम्बर, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के अंक में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां और संबंधी भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट के रूप में काम करते हैं । चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम के पास उन सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों और संबंधियों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं हैं जो जीवन बीमा के एजेंट हैं, इस लिए प्रकाशित समाचार में उल्लिखित एजेंटों और प्रीमियम आय के आंकड़ों के आधार का कुछ पता नहीं चल सकता ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमों में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यपार अथवा व्यवसाय नहीं करेगा या कोई अन्य नौकरी नहीं करेगा तथा इसके अलावा उक्त नियमों में यह भी व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसी किसी बीमा एजेंसी आदि के कारबार में सहायता के लिये प्रचार करना जो उस की पत्नी या उस के परिवार के किसी अन्य सदस्य की हो या जिसका प्रबन्ध उसकी पत्नी या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के अधीन हो, तो ऐसा करना उपर्युक्त व्यवस्थाओं का उल्लंघन करना माना जाएगा । आचरण नियमों में यह भी उपेक्षा की गई है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को चाहिए की यदि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी व्यपार अथवा व्यवसाय में लगा हुआ हो अथवा उसके पास कोई बीमा एजेंसी हो अथवा वह उसका प्रबन्धक हो तो कर्मचारी को इसकी सूचना सरकार को देनी